

तत्काल

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : F. 9(4)PMS/Fraud case Payment/2025/07305-7248297-Part-1-7559024 दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साइन्स, अलवर एवं अन्य संस्थानों में अनियमित छात्रवृत्ति भुगतान के प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर पाया गया कि राजस्थान में संचालित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के द्वारा नोडल अधिकारी की एसएसओ आईडी के स्थान पर ई-मित्र कियोस्क आई.डी. काम में ली जा रही है। शिक्षण संस्थानों के द्वारा ई-मित्र कियोस्क आई.डी. काम में लेने से विभिन्न गड़बड़ियां होने की संभावना होने के कारण कियोस्क आई.डी. से छात्रवृत्ति पोर्टल पर संचालित 272 शिक्षण संस्थानों को विभागीय यू.ओ. नोट राजकाज रेफरेस नंबर 15789823 दिनांक 09.06.2025 द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया जाकर जिलाधिकारियों से निरीक्षण करवाकर मय अभिशंषा के जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई।

उक्त 272 शिक्षण संस्थानों में से निम्नानुसार 4 शिक्षण संस्थानों को जिलाधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर छात्रवृत्ति पोर्टल पर यथावत होल्ड पर रखा जाता है :-

1. MAHARSHI DAYANAND MAHAVIDYALAYA SISWALI (Institute ID 40146)
2. SANKALP COLLEGE PALSANA, SIKAR (Institute ID 4716)
3. SWAMI VIVEKANAND VETERINARY INSTITUTE SIKAR (Institute ID 1703)
4. BHUNESHWARI PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000508))

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : F. 9(4)PMS/Fraud case Payment/2025/07305-7248297-Part-1-7559024 दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आदेश वेबवॉर्ट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, (समस्त) को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संस्था प्रधान।
7. रक्षित पत्रावली

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव